सं. आईआरडीएआई/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/250/09/2021

अलेक्स स्टेवार्ट इंश्योरेंस सर्वेयर्स एण्ड लास असेसर्स प्रा. लि.
के मामले में अंतिम आदेश

[कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दिनांक 08/06/2020 के लिए उत्तर एवं सदस्य (गैर-जीवन) की अध्यक्षता में 20 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 10.30 बजे वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से आयोजित सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरणों के आधार पर]

पृष्ठभूमिः-

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने 26/08/2019 से 30/08/2019 तक के दौरान मेसर्स अलेक्स स्टेवार्ट इंश्योरेंस सर्वेयर्स एण्ड लास असेसर्स प्रा. लि. (एसएलए) का आनसाइट निरीक्षण संचालित किया था।
2. प्राधिकरण ने निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति टिप्पणियाँ माँगते हुए 24/10/2019 को एसएलए को अग्रेषित की तथा एसएलए ने उक्त निरीक्षण रिपोर्ट का उत्तर दिया। तत्काल उपलब्ध दस्तावेजों और एसएलए द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की जाँच करने के बाद प्राधिकरण ने एसएलए को कारण बताओ नोटिस 08/06/2020 को जारी किया जिसका उत्तर एसएलए ने पत्र दिनांक 17/06/2020 के द्वारा दिया।
3. जैसा कि उक्त पत्र में अनुरोध किया गया, एसएलए को वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से सुनवाई का एक अवसर 20 जुलाई 2021 को दिया गया। श्री कुशल राय, निदेशक, श्री के. वी. ए. मूर्ति, केप्टन कालिन लोप्स और सुश्री डी. जयलक्ष्मी एसएलए की ओर से उक्त सुनवाई में उपस्थित थे। प्राधिकरण की ओर से श्री प्रभात कुमार मैती, महाप्रबंधक (प्रवर्तन), श्री पंकज कुमार तिवारी, महाप्रबंधक (सर्वेक्षक), श्री बी. राघवन, उप महाप्रबंधक (प्रवर्तन) और श्रीमती निमिषा श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (सर्वेक्षक) सुनवाई में उपस्थित रहे।
4. कारण बताओ नोटिस के लिए अपने लिखित उत्तर में एसएलए के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों तथा वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरणों और एसएलए द्वारा अपने प्रस्तुतीकरणों के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया तथा तदनुसार आरोपों पर लिये गये निर्णयों का विवरण नीचे दिया जाता है।
5. **आरोप सं. 1:**

आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 16(5) का उल्लंघन।

टिप्पणीः सर्वेक्षकों के द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के संबंध में एसएलए द्वारा प्रस्तुत किये गये डेटा के अनुसार यह पाया गया कि उक्त कार्य तब सौंपा गया जब श्री अलेन जे. फर्नांडीज़, निदेशक के पास "अग्नि" (फायर) श्रेणी का लाइसेंस था। तथापि, रिपोर्ट श्री कुशल राय के द्वारा दी गई जिनके पास "अग्नि" (फायर) विभाग में लाइसेंस नहीं था।

एससीएन के लिए उत्तर का सारांशः

कंपनी ने उक्त सर्वेक्षण कार्य 31 मई 2018 को स्वीकार किया तथा सर्वेक्षण का कार्यनिष्पादन 1 जून 2018 को किया; तथा इन दोनों तारीखों पर उन्होंने फायर श्रेणी में एसएलए लाइसेंस धारित किया। तथापि, सर्वेक्षण रिपोर्ट 25/09/2018 को अर्थात् 31/08/2018 को निदेशक श्री अलेन जे. फर्नांडीज़ की सेवानिवृत्ति के बाद दी गई। वे एकमात्र निदेशक थे जिनके पास फायर श्रेणी का लाइसेंस था। सर्वेक्षण रिपोर्ट देने में विलंब बीमाकृत व्यक्ति से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण था।

श्री कुशल राय, लाइसेंस धारक और उस समय कंपनी के सेवारत निदेशक द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का कार्य किसी दुर्भावपूर्ण उद्देश्य से नहीं, बल्कि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने और उपयुक्त रूप में दावे के संबंध में कार्रवाई करने में बीमाकर्ता / बीमाकृत व्यक्ति को समर्थ बनाने के इरादे से किया गया था।

निर्णयः

एसएलए ने प्रस्तुतीकरण किया है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलंब बीमाकृत व्यक्ति से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण था। यदि उक्त दस्तावेज, जैसा कि एसएलए द्वारा दावा किया गया है, प्रश्नगत सर्वेक्षक की सेवानिवृत्ति तक बीमाकृत व्यक्ति से प्राप्त नहीं किये गये थे, तो एसएलए का यह प्रस्तुतीकरण कि कथित सर्वेक्षण उस सर्वेक्षक (श्री अलेन जे. फर्नांडीज़) द्वारा किया गया था, स्वीकार्य नहीं है। आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उक्त सर्वेक्षण पूरा किया गया था और रिपोर्ट पर श्री कुशल राय द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। इसका अर्थ यह है कि अग्नि (फायर) श्रेणी में सर्वेक्षण एक ऐसे सर्वेक्षक द्वारा किया गया जिसके पास फायर श्रेणी में सर्वेक्षक का लाइसेंस नहीं था; जो आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 16(5) आचरण संहिता, अध्याय VI का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102(बी) के अंतर्गत अपने में निहित शक्तियों के आधार पर प्राधिकरण उक्त एसएलए पर रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपये) का अर्थदंड लगाता है। इसके अतिरिक्त, एसएलए को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि जिन सर्वेक्षकों को सर्वेक्षण कार्य सौंपे जाते हैं वे उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण निष्पादित करने के लिए विधिमान्य लाइसेंस धारित करें।

6. **आरोप सं. 2:**

आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2018 के विनियम 15 और आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 13 का उल्लंघन।

टिप्पणीः 2017-18 और 2018-19 के दौरान सर्वेक्षण रिपोर्टों का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि एसएलए ने सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण में विलंब किया है।

एससीएन के लिए उत्तर का सारांशः

सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रस्तुति में विलंब सामान्यतः बीमाकृत व्यक्ति के द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में विलंब और मरम्मत पूरी करने में देरी के कारण होता है, तथा इसके द्वारा हानि के निर्धारण में विलंब होता है। एसएलए ने निरीक्षण रिपोर्ट में पहचान किये गये मामलों में से प्रत्येक के लिए

विस्तारपूर्वक अपना उत्तर दिया है। तथापि, यह सिद्ध करने के लिए वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके कि उन्होंने उक्त विनियम के अंतर्गत अनिवार्य किये गये रूप में प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है।

निर्णयः

आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2018 का विनियम 15 और आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 का विनियम 13 उस स्थिति में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करते हैं जब सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। एसएलए को इस चूक के लिए चेतावनी दी जाती है तथा उपर्युक्त विनियम का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है।

7. **आरोप सं. 3:**

आईआरडीएआई (आईएसएलए) विनियम, 2015 के विनियम 4 के अंतर्गत खंड 15(1) और आईआरडीएआई (आईएसएलए) विनियम, 2015 के 12(1) का उल्लंघन।

टिप्पणीः एसएलए द्वारा प्रस्तुत किये गये डेटा से यह पाया गया है कि सर्वेक्षण श्री कालिन लोप्स द्वारा किये गये थे, जो स्टेवार्ट सर्वेयर्स एण्ड असेयर्स प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी है, जो एसएलए की एक सहयोगी संस्था है। श्री कालिन लोप्स अलेक्स स्टेवार्ट सर्वेयर्स में प्रतिनियुक्ति पर थे, जिसकी अनुमति उक्त विनियमों के द्वारा नहीं दी गई है जो यह अनिवार्य (मैंडेटरी) बनाते हैं कि सर्वेक्षक एक कर्मचारी होना चाहिए।

एससीएन के लिए उत्तर का सारांशः

कैप्टन कालिन लोप्स अलेक्स स्टेवार्ट इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का एक कर्मचारी है। अलेक्स स्टेवार्ट इंश्योरेंस सर्वेयर्स एण्ड लास असेसर्स प्राइवेट लिमिटेड और अलेक्स स्टेवार्ट इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक सेवा करार विद्यमान है, तथा उक्त करार के आधार पर कैप्टन कालिन लोप्स अलेक्स स्टेवार्ट इंश्योरेंस सर्वेयर्स एण्ड लास असेसर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सर्वेक्षण कर रहे हैं। कैप्टन कालिन लोप्स मरीन कार्गो और मरीन हल सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षक लाइसेंस सं. 120115 धारित करते हैं।

वैयक्तिक सुनवाई के दौरान, एसएलए ने कहा कि उपर्युक्त करार के आधार पर एसएलए के लिए सर्वेक्षण करने की श्री लोप्स की व्यवस्था अब भी जारी है।

निर्णयः

एसएलए का ध्यान आईआरडीएआई (आईएसएलए) विनियम, 2015 के विनियम 4 के अंतर्गत खंड 15(3) की ओर आकर्षित किया जाता है जो परिकल्पित करता है कि "वैयक्तिक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक जो किसी कंपनी/फर्म के एक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है, केवल उसी कंपनी/फर्म के सर्वेक्षण कार्य करेगा जिसके साथ वह नियोजित है। कर्मचारी केवल उन्हीं विभागों में तथा उसके वैयक्तिक लाइसेंस के अंतर्गत उसे आबंटित सदस्यता के स्तर पर ही सर्वेक्षण कार्य करेगा"। अतः एसएलए उन व्यक्तियों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य नहीं कर सकता जो उसके

कर्मचारी अथवा निदेशक नहीं हैं। एसएलए को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त सर्वेक्षक के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य करवाने की प्रथा तत्काल बंद करे अथवा उसे अलेक्स स्टेवार्ट इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से त्यागपत्र देना चाहिए। इस सर्वेक्षक के संबंध में एसएलए द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना प्राधिकरण को इस आदेश की तारीख से 21 दिन के अंदर दी जाएगी।

8. **निर्णयों का सारांशः**

आरोप सं.	**उल्लंघन किया गया उपबंध और आरोप**	**निर्णय**
1	**आरोपः** उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य करना जिसके लिए वह लाइसेंस धारित नहीं करता **उपबंधः** आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 का विनियम 16(5)	रु. 1 लाख का अर्थदंड और निदेश
2	**आरोपः** सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण में विलंब **उपबंधः** आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2018 का विनियम 15 और आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 का विनियम 13	चेतावनी और निदेश
3	**आरोपः** ऐसे सर्वेक्षक को नियुक्त करना जिसके पास प्राधिकरण का लाइसेंस नहीं है **उपबंधः** आईआरडीएआई (आईएसएलए) विनियम, 2015 के विनियम 4 के अंतर्गत खंड 15(1) और आईआरडीएआई (आईएसएलए) विनियम, 2015 का 12(1)	निदेश

9. जैसा कि संबंधित आरोपों के अंतर्गत निदेश दिया गया है, एक लाख रुपये का अर्थदंड एसएलए के द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से (जिसके लिए विवरण अलग से सूचित किया जाएगा) इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि के अंदर विप्रेषित किया जाएगा। विप्रेषण की सूचना श्री प्रभात कुमार मैती, महाप्रबंधक (प्रवर्तन) को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा, गच्चीबौली, हैदराबाद-500032 के पते पर भेजी जाए।
10. उक्त एसएलए उपर्युक्त निर्णयों के संबंध में अनुपालन की पुष्टि इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के अंदर करेगा। यह आदेश आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा तथा एसएलए विचार-विमर्श के कार्यवृत्त की एक प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
11. यदि एसएलए इस आदेश में निहित किसी भी निर्णय से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

हस्ता./-
(टी. एल. अलमेलु)
सदस्य (गैर-जीवन)

स्थानः हैदराबाद
दिनांकः 14 सितंबर 2021